

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र— सोडावास

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा

266 / 17

रजू दिनांक

23.10.2017

अन्तिम निर्णय दिनांक

16.05.2018

अनुवान

1. सुमित्रा देवी पत्नी चरण सिंह जाति अहीर निवासी मोधूपुर तहसील कोटकासिम जिल अलवर

:-वादीया

बनाम

1. महेन्द्र सिंह
2. बाबूलाल पुत्रान भूपसिंह जातियान अहीरान निवासीयान माजरी खोला तहसील मुण्डावर
3. राजपाल पुत्र रामकुंवार जाति अहीर निवासी धोकल नगर तहसील मुण्डावर अलवर
4. राजस्थान सरकार जर्गे लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर

:-प्रतिवादीगण

दावा-खाता विभाजन

:-अन्तिम पर्चा डिक्री:-

दिनांक:- 16.05.2018

वकील वादी श्री हंसराज यादव एवं पक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 16.05.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-


विवादित आराजी ख0 नं0 103/0.18 है0 वाके ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं



पक्षकारान के नाम प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक खातेजात कायम कर लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से ऋण राशि वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा "प्रदर्श-अ" निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 16.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(महेश चन्द्र मान) 16.05/18
उपखण्ड अधिकारी एवं मुण्डावर (अलवर) राज्य
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)